Title : Need to continue the permission granted to Ayurvedic doctors for using Allopathic system of medication in Maharashtra and other parts of the country.

(ix) Need to continue the permission granted to Ayurvedic doctors for using Allopathic system of medication in Maharashtra and other parts of the country

श्री हंसराज जी.अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एक पारम्परिक उपचार पद्धति है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए आयुर्वेद उपचार प्रणाली के डॉक्टर आवश्यक एलोपैथी का अभ्यास व ज्ञान प्राप्त कर रोगियों के लिए किफायती सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में आयुर्वेद डॉक्टरों को जिन्होंने एलोपैथी का भी अभ्यास किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे बी.ए.एम.एस डॉक्टर्स को एलोपैथी सेवा करने की इजाजत दी है। राज्य सरकार ने 1992 व 1999 में यह छूट दे रखी है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसका अनुमोदन किया गया है तथा राज्य में अधिकांश ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों पर BAMS डाक्टर्स भेाज अधिकारी पदों पर नियुक्त हैं ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार इन आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी उपचार प्रणाली अपनाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु कदम उठाने की आशंका है। यदि केन्द्र सरकार यह निर्णय लेती है तो देश में अनेक दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डॉक्टर उपचार सेवा से वंचित रह जाएंगे। इन क्षेत्रों की उपचार स्वास्थ्य सेवा चरमरा जाएगी और एलोपैथी उपचार प्रणाली का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा तथा इतनी संख्या में एलोपैथी डॉक्टर्स हमारे यहां उपलब्ध नहीं हैं जो देश के इन ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में रहकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा दे सकें। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि बी.ए.एम.एस आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथी उपचार करने की इजाजत कायम रखें।